न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 437/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
गणेशाराम पुत्र पृथ्वीराज जाति पालीवाल निवासी ग्राम छीला तहसील फलौदी (लोहावट) जिला जोधपुर		1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लोहावट जिला जोधपुर 2– कमली पत्नी महेन्द्र 3– मोहनी पत्नी भानाराम जातियान विश्नोई निवासी लोर्डियां तहसील फलोदी जिला जोधपुर 4– कमली पत्नी दमाराम पालीवाल निवासी छीला तहसील फलोदी (लोहावट) जिला जोधपुर 5– फूली पत्नी सरदारमल 6– सरदारमल पुत्र सोहनलाल जाति सोनी निवासी पत्थर रोड, फलोदी तहसील फलोदी जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 27–7–2015 जो प्रकरण संख्या 57/2014 अनवान गणेशराम बनाम राजस्थान सरकार वगैरा मे अपर जिला कलेक्टर फलोदी द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री किसनाराम विश्नोई अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री सुगनमल परिहार अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 से 6 की ओर से।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 25–10–2017

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर फलोदी के समक्ष म्युटेशन संख्या 362 ग्राम छीला पर तहसीलदार फलोदी द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–2–2013 के विरूद्ध यह कथन करते हुए प्रस्तुत की कि अपीलाधीन म्युटेशन मे वर्णित खसरा नंबर 297 की 122.19 बीघा भूमि अपीलांट की कब्जा काश्त का खेत है तथा अपीलांट की उक्त रकबा के चारो ओर तारबंदी कर पक्की ढाणी बनी हुई है तथा अपीलांट वक्त सेटलमेंट के पूर्व से उक्त खसरा पर कब्जा काश्त करता आ रहा है परंतु रेस्पो0 संख्या 2 से 6 ने उक्त भूमि का बेचान कर दिया तथा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 362 रेस्पो0 संख्या 1 तहसीलदार लोहावट द्वारा स्वीकार करवा लिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया । जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपने विस्तृत अपीलाधीन निर्णय 27–7–2015 के द्वारा अपीलांट की अपील को खारीज कर दिया, जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र आर्डर 39 रूल 07 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट तलब

करने बाबत पेश कर कथन किया कि पत्रावली मे अंतिम बहस सुनने तथा अपील का निर्णय करने मे कब्जा महत्वपूर्ण विवादित बिन्दु होने से मौका कमिश्नर रिपोर्ट मंगवाने से न्यायालय को न्याय करने मे सुविधा होगी । उक्त प्रार्थना पत्र की प्रति वकील रेस्पो0 को उपलब्ध कराई जाने पर रेस्पो0 अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना पत्र पर आपत्ति प्रकट करते हुए कथन किया कि इस अपीलीय स्टेज पर अतिरिक्त एवीडेन्स कलेक्ट कर निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित नही है तथा यह कथन किया कि इस अपीलीय न्यायालय को केवल यही देखना है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय मे क्या त्रुटि की है इसलिए अपीलांट का उक्त प्रार्थना पत्र खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट तलब करने के प्रार्थना पत्र पर पक्षकारो की बहस पर मनन करने पर यह न्यायालय म्युटेशन की द्वितीय अपील के निर्णय से पूर्व मौका रिपोर्ट तलब करना उचित नही समझते हुए अपील की गुणावगुण पर उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुने ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अपीलाधीन भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त है तथा उक्त भूमि के चारो ओर तारबंदी कर अपीलांट की पक्की ढाणी बनी हुई है, जिसमे अपीलांट अपने परिवार सहित निवास कर रहा है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व कब्जे की जांच करवाये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे यह भी कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 362 पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 28–4–2001 को भरकर वास्ते जांच भू अभिलेख निरीक्षक के पास भेजने पर दिनांक 1–5–2001 को उक्त म्युटेशन पर बाद जांच म्युटेशन पर किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नही किया गया तथा यह भी कथन किया कि अपीलाधीन नामांतरकरण मे वर्णित भूमि के संबंध मे विभिन्न न्यायालयो मे दावे, अपील आदि लंबित रहने के कारण म्युटेशन के संबंध मे कोई कार्यवाही नही की गई परंतु लगभग 14 वर्ष बाद अचानक रेस्पो0 संख्या 1 तहसीलदार ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 362 को स्वीकृत कर दिया, जो विधि एवं न्यायसंगत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 362 के विरूद्ध प्रथम अपील पेश की तथा अपील के साथ अपीलाधीन मूमि के संबंध मे पूर्व मे प्रस्तुत दावे, अपीले तथा उनमे पारित आदेशो की प्रतियां आदि सम्पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत किये परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उन दस्तावेजो पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 362 पर दिनांक 1–5–2001 को जिस निरीक्षक भू अभिलेख ने बाद जांच अपनी टिप्पणी पेश की थी, वही भू अभिलेख निरीक्षक जिसकी नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति होने से

उक्त म्युटेशन को स्वीकृत कर दिया, जो विधिक प्रक्रिया के अनुरूप नही होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27–7–2015 एवं अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 362 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 2 से 6 की ओर से अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय का समर्थन करते हुए तथा अपीलांट अधिवक्ता की बहस के खण्डन करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के बारे मे अपीलांट ने लीला पत्नी गोपीलाल पालीवाल से मिलावट कर उसके द्वारा मनघडंत आधारो पर दावा एवं अपीले पेश करवाई गई, जो लंबे समय तक लंबित रहने के कारण अपीलाधीन भूमि का नामांतरकरण संख्या 362 स्वीकृत नही हो पाया था तथा जब अपीलाधीन भूमि के सबंध मे कोई अपील/दावा न्यायालय मे लंबित नही था तो रेस्पो0 संख्या 6 द्वारा शिविर प्रभारी प्रशासन गांव के संग अभियान 2013 मे प्रार्थना पत्र पेश करने पर अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 362 प्रभारी अधिकारी के आदेश दिनांक 13–2–2013 की पालना मे स्वीकृत किया गया था, जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने अपनी बहस के दौरान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे दिनांक 13–1–2014 को प्रस्तुत लिखित बहस को उनकी बहस का अंग सुमार करते हुए अपीलाट की अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो, अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 362 ग्राम छीला तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी अपर जिला कलेक्टर फलोदी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27–7–2015 आदि का भी अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर फलोदी द्वारा पारित निर्णय मे अपीलाधीन म्युटेशन मे वर्णित वादग्रस्त भूमि के संबंध मे हुए बेचान, दावे, अपीलो तथा उन पर पारित निर्णयो आदि का विस्तृत विवेचन करने के बाद जो निर्णय पारित किया गया है, उसमे हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है ।

वर्तमान मामले मे अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 362 एक पंजीबद्ध बेचान दस्तावेज के आधार पर स्वीकार किया गया है, जिसे म्युटेशन की कार्यवाही के जरिये जब तक निरस्त नही किया जा सकता है तब तक अपीलाधीन भूमि के संबंध मे निष्पादित पंजीबद्ध बेचान दस्तावेज को किसी सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नही कर दिया गया हो । अपीलांट का मुख्य तर्क यही है कि अपीलाधीन भूमि पर कब्जा काश्त अपीलांट का है तथा कब्जे के आधार पर अपीलांट म्युटेशन अपील की सरसरी कार्यवाही के जरिये अपने अधिकारो की घोषणा करवाना चाहता है, जो म्युटेशन की सरसरी कार्यवाही मे संभव नही है । यह भी उल्लेखनीय है कि रेस्पो0 अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान फार्म नंबर 3 के सलंग्न न्यायालय सहायक कलेक्टर फलौदी के समक्ष अपीलांट गणेशाराम द्वारा प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट का दिनांक 6–11–2015 को खारीज हो चुका

है इसलिए अपीलांट को अपीलाधीन भूमि मे किसी प्रकार का हक अधिकार नही होने से अपीलांट की यह अपील सारहीन पाई जाती है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर फलोदी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27–7–2015 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 25–10–2017 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

।